राजभवन सूचना परिसर, उत्तराखण्ड

प्रेस विज्ञप्ति

41वें अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल का संबोधन

राजभवन देहरादून दिनांक 23 जून, 2011

उत्तराखण्ड की राज्यपाल श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा ने कहा है कि **''मानव तस्करी, विशेषतः महिलाओं व बच्चों की, एक तीव्र गति से बढ़ता हुआ अन्तर्राष्ट्रीय संगठित अपराध है जिसका सीमा पार के ऐसे संगठित आपराधिक तंत्र से गठजोड़ बढ़ रहा है जो अवैध वसूली, अवैध मुद्रा कारोबार, हथियारों व नशीले पदार्थों की तस्करी व आतंकवाद जैसे अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हैं। इन समस्याओं का सम्बन्ध सम्पूर्ण मानव समुदाय से है। आतंकी गुटों व संगठित अपराधियों के इस गठजोड़ से निजात पाने के लिए बहुआयामी, समन्वित तथा गम्भीर प्रयासों की आवश्यकता है।''**

राज्यपाल ने उपरोक्त विचार आज भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत भवन में आयोजित **''41वें अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस''** के समापन सत्र की मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए।

अपने संबोधन के क्रम में उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने **''मानव तस्करी''** के पीड़ितों को राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर कानूनी सुरक्षा दिये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया। **''ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट''** तथा उत्तराखण्ड पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में पुलिस बलों की क्षमता व दक्षता में वृद्धि के उद्देश्य से आयोजित इस तीन दिवसीय पुलिस कांग्रेस को सम्बोधित करते हुए राज्यपाल ने पुलिसिंग से सम्बन्धित अनेक विषयों पर विस्तृत प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था में संख्या की अपेक्षा अभ्यर्थियों का चयन, प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन प्रबंधन की गुणवत्ता ही उनकी वास्तविक प्रभावशालिता/उपयोगिता सिद्ध करती है। तीव्र गति से परिवर्तनशील लोकतांत्रिक देश में पुलिस की भूमिका पर राज्यपाल ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने व अपराध नियंत्रण के कारगर उपायों के साथ–साथ पुलिस को जनसमुदाय के प्रति और अधिक संवेदनशील होना होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस बल को व्यावसायिक रूप से दक्ष व जनोपयोगी बनाने के लिए उनके कौशल में वृद्धि तथा जनता के प्रति उसके व्यवहार व दृष्टिकोण में परिवर्तन लाकर उसमें जनसेवा का भाव लाना होगा। **राज्यपाल ने पुलिस बल को सभी आवश्यक संसाधनों से युक्त बनाये जाने पर विशेष बल दिया।**

राज्यपाल ने पुलिस–जनसंख्या अनुपात की उच्च दर व देश के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में असमान पुलिस विभाजन पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या व क्षमता को द्विगुणित करने के साथ ही रिक्त पद भरे जाने भी जरूरी हैं।

राज्यपाल ने पुलिस बलों के लिए मूल अर्हता को उच्चीकृत कर उनके उचित प्रशिक्षण, वेतन, आवास तथा 'प्रोन्नति' के अवसर प्रदान किए जाने की भी बात कही। राज्यपाल ने फोरेंसिक अन्वेषण, जासूसी कार्य, अभिसूचना एकत्रीकरण व साइबर अपराधों में पुलिस बलों को प्रशिक्षित करने हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नई तकनीकी का प्रयोग पुलिस जनों को रोजमर्रा के उबाऊ कार्यों से निवृत्त कर उन्हें विश्लेषण व नियोजन की ओर उन्मुख करता है। उन्होंने फोरन्सिक विज्ञान के अधिक से अधिक प्रयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए इसका प्रयोग भ्रष्टाचार व साइबर अपराधों से निपटने के लिए करने का आवाहन भी किया।

राज्यपाल ने कहा कि आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बढ़ते खतरों का संदर्भ सीधे रूप में सीमा पार आतंकवाद से है जिसका हमारे क्षेत्र के लिए विशेष महत्व है। परिष्कृत तकनीक व संचार साधनों से अपराधी साफ बच निकलते हैं व इनमें से संगठित अपराधियों की गतिविधियां तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विशेष खतरा उत्पन्न कर रही हैं।

राज्यपाल ने अतिवादी आंदोलनों, अलगाववाद, सीमा पार आतंकवाद, धार्मिक विवाद व जाति उन्माद जैसे सामाजिक आर्थिक तनावों को केवल कानून–व्यवस्था के विषयों के रूप में न देखकर उनके कारणों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा के साधनों व संसाधनों के अभाव से उत्पन्न अलगाव की भावना हिंसक प्रतिक्रिया छद्म आंदोलनों को जन्म देती है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर आदिवासियों व किसानों की भूमि के बलपूर्वक अधिग्रहण से उत्पन्न रोष को बन्दूक की नोक से नहीं दबाया जा सकता व इसके लिए लोगों की असुरक्षा की मूल भावना को समझकर न्याय व मानवाधिकार सुनिश्चित कर उपाय खोजे जाने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने पुलिस को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं, बच्चों व वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि पुलिस बल को महिलाओं व बच्चों को हिंसा से बचाने, उनकी सुरक्षा के लिए कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने व इस प्रकार की हिंसा के अपराधियों को दंडित करने के प्रति जागरूक बनना चाहिए।

इस अवसर पर राज्यपाल ने पुलिस साईंस कांग्रेस की परंपरा व इतिहास की चर्चा करते हुए उसके आयोजकों व प्रतिभागियों को इसके आयोजन पर बधाई देते हुए कहा कि इस वार्षिक कार्यक्रम ने पुलिस अधिकारियों की कई पीढ़ियों को रणनीतिक नियोजन का अवसर प्रदान कर लाभान्वित किया है।

समापन सत्र को नागालैण्ड के राज्यपाल श्री निखिल कुमार ने भी विशिष्ठ अतिथि के रूप में संबोधित किया। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामा सिंह, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती सुशीला बलूनी, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक डा0 आर.बी.एस. रावत, राज्य के गृह सचिव श्री राजीव गुप्ता, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य श्री आर. श्रीकुमार, बी.पी.आर. एण्ड डी. के महानिदेशक श्री विक्रम श्रीवास्तव, उत्तराखण्ड के पुलिस महानिदेशक श्री जे.एस. पाण्डेय, व पर्यावरणविद् श्रीमती एवं श्री सुन्दरलाल बहुगुणा तथा पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के आयोजन सचिव व अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) श्री एस.के. भगत ने धन्यवाद भाषण दिया जबकि श्री अभिनव कुमार डी.आई.जी. ने मंच संचालन किया।

————0————

सूचना अधिकारी श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड मो0–9456590619 टेली फैक्स 0135–2756172